मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-4/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 22-6-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण ''चेतावनी/चरित्रावली चेतावनी'' देकर समाप्त न करने बाबत्.

संदर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-सी-6-2/94/3/एक, दिनांक 30 जून 1994.

इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 30-6-94 की कंडिका 3(3) में यह निर्देश दिये गये थे कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत ''चेतावनी'' दण्ड की परिभाषा में नहीं आती. अर्थात् इन नियमों के अन्तर्गत जो दण्ड परिभाषित है, उनमें चेतावनी सम्मिलित नहीं है. अत: उक्त नियमों के अन्तर्गत की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप यदि अपचारी शासकीय सेवक पर कुछ दोष आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम ''परिनिंदा'' की शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों को केवल चेतावनी देकर समाप्त नहीं करना चाहिये.

2. राज्य शासन के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें उपरोक्त निर्देश के विपरीत अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में अपचारी शासकीय सेवक को दण्डित अथवा दोष मुक्त न करते हुए प्रकरण चेतावनी/चरित्रावली चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया.

3. राज्य शासन द्वारा पुन: स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का परिणाम अपचारी शासकीय सेवक को उपरोक्त नियमों के नियम 10 में वर्णित शास्तियों में से आरोप सिद्ध होने पर उपयुक्त शास्ति अधिरोपित की जाना चाहिए. किसी भी स्थिति में आरोप सिद्ध होने पर, अपचारी शासकीय सेवक को ''चेतावनी'' अथवा ''चरित्रावली चेतावनी'' देकर प्रकरण समाप्त नहीं किया जाना चाहिए.

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे. भविष्य में यदि किसी प्रकरण में इन निर्देशों के विपरीत कार्रवाही करना पाया गया तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.